

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर० ३१७९१३३

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार श्रीमान् जी, पत्नी के आवेदन, शपथ पत्र, काप्यार कार्ड, बैंक पासबुक में नाम बहादुर स्वामी पि. किशन दास है। जाकि शपथपत्र की जमाबन्दी/सं २०१८-१८ खाता सं. ३०१ में कथुब नाम मारद पि. किशन (मारद) का नाम दर्ज है। काप्यार पर पत्नी का कथुब नाम बहादुर स्वामी पि. किशन दास कथुब किया जाकर उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / मुढागौडजी

दिनांक :- 16/12/2024
प.स. नं० १११११

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

भूमि ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / मुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुझुनू (राज.)

आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरसादेजी साक्षों एवं तहसीलदार (नू०अ०) उदयपुरवाटी / मुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (नू०अ०) उदयपुरवाटी / मुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	भाउदा१९६१	२०१८-१८	३०१	मारद पि. किशन लाल	बहादुर स्वामी पि. किशन दास

नोट :- शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्धारित की पालना की जावे।

16/12/24
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 2373
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 16/12/24

1. तहसीलदार (नू०अ०) उदयपुरवाटी / मुढागौडजी को वारते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

16/12/24
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी